न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 207/2023 दायर दिनॉक 12.09.2023

वादी		प्रतिवादी
1. प्रकाश राम दतक पुत्र श्री हीराराम जाति जाट निवासी सिंगरावट खुर्द डीडवाना तहसील डीडवाना जिला डीडवाना– कुचामन राज0।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

राजस्व–वाद बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थित:–

श्री भैरोसिंह शेखावत एडवोकेट वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनॉक 25.02.2025

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी का संयुक्त खातेदारीसूदा खेत खसरा सं0 108 रकबा 0.8800 हैक्टे0, खसरा सं0 109 रकबा 1.6600 हैक्टे0, खसरा सं0 132 रकबा 5.5800 हैक्टे0, खसरा सं0 136 रकबा 1.6800 हैक्टे0, खसरा सं0 137 रकबा 0.0400 हैक्टे0, खसरा सं0 138 रकबा 1.3600 हैक्टे0, खसरा सं0 139 रकबा 2.5700 हैक्टे0, खसरा सं0 491 रकबा 0.1100 हैक्टे0, खसरा सं0 121 रकबा 7.0800 हैक्टे0, खसरा सं0 122 रकबा 3.4200 हैक्टे0, खसरा सं0 490 रकबा 1.8500 हैक्टे0, खसरा सं0 492 रकबा 0.8800 हैक्टे0, खसरा सं0 493 रकबा 0.0200 हैक्टे0, खसरा सं0 494 रकबा 0.1300 हैक्टे0 वाकै सरहद सिंगरावट खुर्द में स्थित है। इस खसरा में वादी प्रकाश राम दतक पुत्र हीराराम की जगह प्रकाशचन्द दतक पुत्र हीराराम से संयुक्त खातेदारी में वादी का गलत नाम दर्ज है। वादी का वास्तवीक नाम प्रकाश राम दतक पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी सिंगरावट खुर्द है। यही नाम वादी के मतदाता पहचान पत्र में अंकित है तथा यही नाम वादी के आधार कार्ड, राशन कार्ड व पेन कार्ड में अंकित है। इसलिए प्रकाशचन्द दतक पुत्र हीराराम का नाम हटाया जाकर प्रार्थी प्रकाश राम दतक पुत्र हीराराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार है:–

राजस्व ग्राम सिंगरावट खुर्द के खेत खसरा सं. 108, 109, 132, 136, 137, 138, 139, 491, 121, 122, 490, 492, 493 व 494 में वादी प्रकाशचन्द दतक पुत्र हीराराम के स्थान पर प्रकाश राम दतक पुत्र हीराराम खातेदारी में इन्द्राज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किया जाने का आदेश सादर फरमावें। तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर वादी प्रकाश राम दतक पुत्र हीराराम के नाम से खातेदारी इन्द्राज किया जावें।

वादी का वाद दर्ज [illegible] किया [illegible]। [illegible] डीडवाना के पत्र क्रमांक/प.1(7)रीडर/2024/07 दिनांक 01[illegible]2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati

Date: 2026.04.09 13:25:35 IST

Reason: SelfAttested

vikas

उपखण्ड अधिकारी

डीडवाना

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया सरहद सिंगरावट खूर्द के खेत खसरा सं0 ग्राम सिंगरावट खुर्द के खेत खसरा सं. 108, 109, 132, 136, 137, 138, 139, 491, 121, 122, 490, 492, 493 व 494 में वादी प्रकाशचन्द दतक पुत्र हीराराम के स्थान पर प्रकाश राम दतक पुत्र हीराराम दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ कर रहा है। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम सिंगरावट खुर्द के खेत खसरा सं. 108, 109, 132, 136, 137, 138, 139, 491, 121, 122, 490, 492, 493 व 494 में खातेदार प्रकाशचन्द दतक पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी सिंगरावट खूर्द का नाम नामान्तरण संख्या 111 व 112 गोदनामे से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ है। प्रार्थी का वर्तमान पहचान दस्तावेजों यथा पहचान पत्र, आधार कार्ड, में प्रार्थी का नाम प्रकाशराम अंकित है तथा इन का वास्तविक नाम भी प्रकाशराम है। तहसीलदार डीडवाना की रिर्पोट के अनुसार रेकर्ड का अंकन गोदनामे के आधार पर हुआ है। गोदनामे के आधार पर राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन प्रकाशचन्द होने के कारण वादी के सही अंकन प्रकाश राम होने के कथन को स्वीकार किया जा सकता है। अतः वाद विवेचन, वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

—:: आदेश ::—

सरहद ग्राम सिंगरावट खुर्द के खेत खसरा सं. 108, 109, 132, 136, 137, 138, 139, 491, 121, 122, 490, 492, 493 व 494 में वादी प्रकाशचन्द दतक पुत्र हीराराम के स्थान पर प्रकाश राम दतक पुत्र हीराराम दुरूस्ती बाबत वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक [illegible] को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 13:25:35 IST
Reason: SelfAttested

vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना